UPMZ010057102026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 2258 सन 2026

अभिषेक उर्फ पंजाबी पुत्र नेत्रपाल
निवासी ग्राम राजपुर–छाजपुर, थाना बुढाना
जनपद मुजफफरनगर

–आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

–अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या–173 सन 2026
धारा – 109 (1), 3 (5)
भारतीय न्याय संहिता
थाना–बुढाना
जनपद– मुजफ्फरनगर

01.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त उपरोक्त की ओर से थाना बुढाना के अपराध संख्या–173 सन 2026 धारा– 109 (1), 3 (5) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदक/अभियुक्त ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है।

यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.04.2026 को चाय पकोडी खाने के लिये ग्राम डूगर की ओर जाने वाली सडक पर स्थित कैंटीन पर गया था जहां चुटैल नरेश कैंटीन का संचालन करता है। आवेदक ने चाय पकौडी खाने के बाद जब नरेश को पैसे दिये तो नरेश ने पचास रूपये अधिक का बिल बताया तथा कहा कि गैस सिलेंडर ब्लैक में मिलता है। इस पर आवेदक/अभियुक्त की कहनसुनन चुटैल से हो गयी जिस कारण नरेश का बैलेन्स खराब हो गया और नीचे गिर जाने से नरेश के सिर में चोट आ गयी। इसके विपरीत समस्त अभियोजन कथन कतई गलत है। चोट लग जाने के बाद चुटैल ने आवेदक/अभियुक्त को धमकी दी थी कि उसके विरूद्व

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.01 16:54:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

मुकदमा दर्ज कराके उसे जेल भिजवा देगा। जिसको आधार बनाकर आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व झूठी घटना दिखाकर रिपोर्ट करायी गयी है।

इसी प्रकार यह भी कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त को पूछताछ के बहाने घटना वाले दिन देर रात में थाना बुढाना घर से लेकर गयी थी तथा दिनांक 22.04.2026 को विधि विरूद्व उसका चालान किया। दर्शित चोट के लक्षण से स्पष्ट है कि चुटैल को आयी चोट से जान का खतरा नहीं था। अंत में कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है न ही वह पूर्व सजायाफता है तथा दिनांक 22.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है। इस प्रकार जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक एवं वादी मुकदमा की ओर से उपस्थित विद्वान प्राईवेट अधिवक्ता द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व गंभीर प्रकृति का मामला है। इस प्रकार अपराध को गंभीर प्रकृति का बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी।

3. उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा तलबीदा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा जयप्रकाश द्वारा घटना दिनांकित 29.04.2026 समय 22.00 बजे के संबंध में दिनांक 22.04.2026 को समय 2.28 बजे थाना बुढाना पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा का भाई ग्राम राजपुर छाजपुर में शराब के ठेके पर कैन्टीन चलाता है। दिनांक 20.04.2026 को उसका भाई अपनी सरसो कस्बा बुढाना में बेचकर ग्राम राजपुर छाजपुर आ रहा था। रास्ते मे अभिषेक उर्फ पंजाबी वादी के भाई से पूछा कि कहां से आ रहा है तो उसके भाई ने बताया कि बुढाना से सरसो बेचकर आया है। वादी का भाई रोजमर्रा की तरह अपनी कैन्टीन में आकर कार्य करने लगा। वादी का भाई करीब रात्रि 10 बजे अपनी कैन्टीन बंद करके अपने ग्राम डगरोल जाने के लिये चल दिया। जैसे ही उसका भाई कृष्णा नदी के पुल पर आया तो अभिषेक उर्फ पंजाबी व दो अज्ञात व्यक्तियों ने उसके भाई नरेश को रोक लिया और उसके साथ छीना झपटी तथा लूटपाट करने लगे। वादी के भाई ने अपनी जेब में रखे दुकानदारों व बेची गयी सरसो के करीब 21 हजार रूपये देने से इंकार किया। इन तीनों ने एक राय होकर उसके भाई को धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया जिससे उसका भाई अचेत होकर गिर गया। उसके बाद इन लोगों ने वादी के भाई के पास जो भी रूपये थे वह तथा साईकिल लूटकर फरार हो गये परंतु वादी मुकदमा के भाई का मोबाईल उनके हाथ नहीं लगा। वादी के भाई को जब होश आया तो उसने घटना की सूचना दी जिस पर वादी मौके पर आया और अपने भाई को खून से लथपथ पाया

और जिसे लेकर वादी तथा उसका भाई सरकारी अस्पताल बुढाना लेकर गये। हालत खराब होने पर उसके भाई को मुजफफरनगर रेफर कर दिया गया।

5. अतः अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदक/अभियुक्त के विरूद्व वादी मुकदमा के भाई नरेश से 21 हजार रूपये की लूट करने व धारदार हथियार से जानलेवा हमला करके उसे चोटें पहुंचाने का आरोप बताया गया है।

केस डायरी में चुटैल नरेश की चिकित्सीय आख्या संलग्न है जिसके अनुसार उसे निम्नलिखित चोटें आना उल्लिखित किया गया है :–

1. I.W. size around 6 x 0.5 cm in right side of frontal skull.
2. L.W. size around 4 x 0.8 cm TS size around 7 x 3.5 cm with bone deep with ... bleeding present in left side of middle skull, 7 cm above of left ear. Xray advice.
3. L.W. size around 4.8 x 0.8 cm TS present size around 6 x 4 cm in occipital skull. Xray advice.
4. Reddish contusion TS size around 5 x 4 cm in right side of hand. Xray advice.
5. Reddish contusion TS size arond 7 x 4 cm in right side of forearm. Xray advice.
6. TS size around 6 x 3 cm in left side of upper side of arm.
7. C/o pain in whole body.

चुटैल नरेश की जेरे निगरानी रखी गयी चोटों के संदर्भ में तैयार पूरक आख्या के अनुसार सभी चोटों को चिकित्सक के द्वारा साधारण प्रकृति की बताया गया है।

मामले की प्राथमिकी धारा 109 (1), 309 (6) तथा 3 (5) भारतीय न्याय संहिता मे दर्ज की गयी थी परंतु दौरान विवेचना धारा 309 (6) भारतीय न्याय संहिता हटा दी गयी है। पूर्व पारित आदेश दिनांकित 30.05.2026 के अनुक्रम में अभियोजन की ओर से दिया गया स्पष्टीकरण उचित एवं न्याय संगत होना नहीं पाया जाता है।

संबंधित थाने की आख्या के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का इस मामले के अलावा अन्य कोई आपराधिक इतिहास नही है तथा आवेदक/अभियुक्त दिनांक 22.04.2026 से जिला कारागार में निरूद्व है।

अतः मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, गुण दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना, जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकृत किये जाने का पर्याप्त व युक्ति–युक्त आधार मौजूद है। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **अभिषेक उर्फ पंजाबी पुत्र नेत्रपाल** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त के द्वारा अंकन 50,000/– 50,000/– पचास पचास हजार रूपये की दो जमानते तथा इतनी ही धनराशि का व्यक्तिगत बन्ध पत्र संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर निम्नलिखित शर्तो के तहत जमानत पर रिहा किया जाये :–

(1) आवेदक/अभियुक्त बन्धपत्र की शर्तों का कठोर पालन करेगा–

(क) ऐसा व्यक्ति इस आशय के अधीन निष्पादित बन्धपत्र की शर्तों के अनुसार हाजिर होगा।

(ख) ऐसा व्यक्ति उस अपराध जैसा, जिसको करने का उस पर अभियोग या संदेह है, कोई अपराध नहीं करेगा।

(ग) ऐसा व्यक्ति उस मामले के तथ्यों से अवगत किसी व्यक्ति को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों को प्रकट न करने के लिए मनाने के वास्ते प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः उसे कोई उत्प्रेरणा नहीं करेगा, धमकी या वचन नहीं देगा या साक्ष्य को नहीं बिगाड़ेगा।

(2) आवेदक/अभियुक्त यह बन्धपत्र भी दाखिल करेगा, –''आवेदक/अभियुक्त विचारण के पूर्ण होने के छः माह के अन्दर यदि उच्चतर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किसी अपील या याचिका में न्यायालय द्वारा नोटिस जारी होता है, तो न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(3) आवेदक/अभियुक्त विवेचना/विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

(4) आवेदक/अभियुक्त इस आशय का एक बन्धपत्र दाखिल करेगा कि, वह विचारण/साक्ष्य के दौरान जब भी कोई साक्षी हाजिर होगा, स्थगन नहीं लेगा।

इस शर्त की अवहेलना होने पर संबंधित न्यायालय को यह अधिकार होगा कि संबंधित न्यायालय आवेदक/अभियुक्त के द्वारा जमानत की स्वतंत्रता के दुरूपयोग के कारण उसके विरूद्ध विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 01.06.2026

sv